(4)

संख्या–ई–8–157/दस–2013–1074/2012

प्रेषक,

जावेद उस्मानी
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उ0प्र0 शासन ।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश।

वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–8 लखनऊ : दिनांक: 12 फरवरी, 2013

विषयः–कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्यों की लागत सीमा का निर्धारण तथा शासकीय निर्माण कार्य को सम्पादित किये जाने के सम्बन्ध में नीति निर्धारण।

महोदय,

शासकीय निर्माण कार्यो के सम्पादन के सम्बन्ध में नीति सम्बन्धी शासनादेश संख्या–ई–8–303/दस–06–89/2004, दिनांक 02 मार्च, 2006 जारी किया गया था जिसमें निर्माण एजेंसी के चयन हेतु व्यवस्था निर्धारित की गई थी । इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इस प्रकरण पर पुनर्विचार किया गया और कार्यहित में उक्त शासनादेश के क्रम में निम्नांकित व्यवस्थाओं की सीमा तक संशोधन करने का निर्णय लिया गया है :–

1. (क) भवनों हेतु पूर्व से चली आ रही गैर–मानकीकृत/मानकीकृत व्यवस्था को बनाये रखते हुए राजकीय निर्माण एजेन्सियों के लिए भवनों के निर्माण कार्यों की लागत सीमा को तीन श्रेणियों में विभक्त करते हुए उनके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले शासकीय कार्यों की सीमा निम्नवत् निर्धारित की जाती है : –

श्रेणी	राजकीय निर्माण एजेन्सियों के नाम	मानकीकृत	गैर मानकीकृत
प्रथम श्रेणी	1.लोक निर्माण विभाग। 2.उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0। 3.कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उ0प्र0 जल निगम)।	असीमित	असीमित
द्वितीय श्रेणी	1.ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग। 2.उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0। 3.उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।	रू0 25.00 करोड़ की सीमा तक	रू0 10.00 करोड़ की सीमा तक
तृतीय श्रेणी	1.उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0। 2.उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड)।	रू0 10.00 करोड़ की सीमा तक	रू0 05.00 करोड़ की सीमा तक

(ख) पूर्व से चली आ रही यह व्यवस्था कि किसी भी प्रशासकीय विभाग की विभागीय एजेंसी अपने विभाग के कार्यों को किसी भी सीमा तक कर सकने के लिए सक्षम होगी, यथावत् रहेगी ।

(ग) लोक निर्माण विभाग के खण्डों के वार्षिक कार्यभार मानक सम्बन्धी लोक निर्माण अनुभाग–5 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1176ईजी/23–5–05–25ईजी/2005 दिनांक 14 जुलाई, 2005 के मानक लोक निर्माण विभाग द्वारा पुनर्निधारित किये जायेंगे। लोक निर्माण विभाग द्वारा पुनर्निधारित मानक के आधार पर तथा सम्बन्धित निर्माण एजेन्सियों के अपने विभागीय कार्यों में अन्तर्निहित धनराशि को भी सम्मिलित कर, उक्त राजकीय निर्माण एजेन्सियों की वार्षिक क्षमता के निर्धारण तथा उसको लागू करने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश लोक निर्माण विभाग द्वारा पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

(घ) राजकीय निर्माण एजेन्सियों को कार्य आवंटित करते समय समस्त प्रशासकीय विभाग उनसे यह प्रमाण–पत्र लेंगे कि उक्त उप प्रस्तर–(ग) के अनुसार निर्धारित वर्तमान कार्यभार क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए उनके पास कार्य करने की क्षमता अवशेष है ।

2. अन्य विकल्पों के साथ–साथ प्रशासकीय विभाग अथवा कार्य देने वाले प्राधिकारी को यह विकल्प भी उपलब्ध होगा कि वह भवन निर्माण कार्य में उ0प्र0 की राजकीय निर्माण एजेन्सियों के साथ केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकारों की निर्माण एजेन्सियों के मध्य सीमित टेण्डर के माध्यम से कार्य सम्पादित करायें जिसमें 'फिक्स्ड प्राइस कान्ट्रैक्ट' किया जाय। ऐसे कार्यों को सम्पादित कराये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा एक सेल का गठन किया जायेगा, जो शासन द्वारा निर्धारित दरों पर आगणन तैयार करने, टेण्डरिंग करने, विभागीय सहमति से उपयुक्त एजेन्सी का चयन करने तथा कार्यों के निरीक्षण का कार्य भी करेगा। इस सेल में पर्याप्त वरिष्ठता के अभियन्ता समुचित संख्या में तैनात किये जायेंगे। यह सेल आगणनों की तकनीकी स्वीकृति देने के लिए सक्षम होगा। इस सेल के कियाकलापों, प्रक्रियाओं व संरचना आदि के निर्धारण हेतु दिशा–निर्देश लोक निर्माण विभाग द्वारा पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

3. प्रदेश में भवन निर्माण सम्बन्धी किसी भी लागत के ऐसे कार्य जिन्हें प्रदेश सरकार द्वारा सिग्नेचर बिल्डिंग अथवा विशिष्ट निर्माण घोषित किया जाय, उनका निर्माण एक पारदर्शी व्यवस्था अपनाते हुए ख्याति प्राप्त निर्माण संस्थाओं/प्राईवेट बिल्डर्स के मध्य खुली निविदा के माध्यम से कराये जाने हेतु दिशा–निर्देश पृथक से निर्गत किये जा रहे हैं ।

4. वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–6 के पैरा–318 में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति आवश्यक है। राज्य सरकार के अभियन्त्रण विभागों के विभिन्न स्तर के अधिकारियों को तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार प्रतिनिधानित है, अतः लोक निर्माण विभाग व ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग को छोड़कर शेष राजकीय निर्माण एजेन्सियों के मुख्य अभियन्ता अथवा समकक्ष या उससे उच्चस्तरीय अभियन्त्रण प्राधिकारियों को डिपाजिट कार्य के रूप में राजकीय निर्माण कार्यों के लिए तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

5. उपर्युक्त प्रस्तर–2 एवं 3 से सम्बन्धित निविदा से प्राप्त कार्यों पर प्रस्तर–1 की राजकीय निर्माण एजेन्सियों को कोई सेन्टेज देय नहीं होगा, शेष डिपाजिट कार्यों पर उन्हें वित्त (लेखा) अनुभाग–2 के शासनादेश सं0–ए–2–23/दस–2011–17 (4)/75, दिनांक 25–1–2011 के अनुसार नियमानुसार सेन्टेज देय होगा ।

उपर्युक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव।

संख्या–ई–8–157(1)/दस–13–1074/2012–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
2. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
3. मुख्य अभियन्ता एवं निदेशक, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0प्र0।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
8. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0।
9. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 लखनऊ।
10. निदेशक, कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
11. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0(पैकफेड) लखनऊ ।
12. वित्त विभाग के समस्त अधिकारी तथा अनुभाग।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द मिश्र)
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 99 सा0 वित्त–19–3–2013–(3555)–500 प्रतियां (क0/टी0/ऑफसेट)।